न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री सना पिता हिरा डामोर **बनाम** श्री सोमा पिता हिरा डामोर वगैरह

पत्रावली संख्या-- 43 / 2022

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
	दिनांक 11.06.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा भाटीया मे खाता संख्या 191 के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी वर्षो से काबिज है, उक्त जमीन मे वादी कुछ जमीन पर काश्त करता है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को जबरन कब्जा करने के लिये झगड़ा फसाद करते हैं। ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि में जबरन न तो निर्माण कार्य या अतिक्रमण स्वयं करें न ही अपने मित्र ऐजेन्ट, मजदुरों से करावें। प्रार्थी की आराजी भूमि का कोई भी हिस्सा विक्रय, रहन, बक्षीस न करें न ही ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित करें, जिससे राजस्व रिकार्ड का कोई हिस्सा हस्तान्तरित माना जावे तथा न ही प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा करें। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गयी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की आराजी है। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा हक नहीं है। ऐसे में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रकरण प्रथमदृष्टया सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर इस बात के लिए पाबंद किया जाते हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा भाटीया में खाता संख्या 191 के खसरा नम्बर 681 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के फैसले तक किसी प्रकार से अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें, प्रार्थी को काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, विक्रय अथवा बक्शीश न करें। ऐसा कृत्य, जिससे कि प्रार्थी के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे, न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य ठेकेदार, मजदुर या अपने परिवार के सदस्य से करावें। ऐसे में मूल वाद के फैसले तक रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा	

Scanned with OKEN Scanner